दिनांक 12.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 16/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः पेट्रोल/डीजल में एथेनाल/साल्वेंट केमिकल मिलाकर अन्तर्राज्यीय स्तर पर पेट्रोल/डीजल की सप्लाई करने वाले गिरोह के 05 सदस्य गिरफ्तार, भारी मात्रा में साल्वेंट, पेट्रोल एवं डीजल बरामद।

दिनांक 12–08–2025 को एस०टी०एफ०, उत्तर प्रदेश को पेट्रोल/डीजल में एथेनाल/ साल्वेंट केमिकल मिलाकर अन्तर्राज्यीय स्तर पर पेट्रोल/डीजल की सप्लाई करने वाले गिरोह के 05 सदस्य गिरफ्तार, भारी मात्रा में साल्वेंट, पेट्रोल एवं डीजल बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– रामू यादव पुत्र सुन्दर लाल निवासी ग्राम–लोध मऊ थाना–सैरपुर, जनपद लखनऊ।

2- सुखबीर कुमार पुत्र बृजमोहन सिंह निवासी ग्राम–रायपुर आईएम रोड थाना मडियांव, जनपद लखनऊ।

3- सुजीत कुमार पुत्र रघुवीर प्रसाद वर्ष ग्राम–बेलवा पोस्ट हैदराबाद थाना हैदराबाद जनपद लखीमपुर खीरी (टैंकर ड्राइवर)

4- रिंकू सिंह पुत्र राजू यादव निवासी ग्राम मान खेडा थाना मडियांव जनपद लखनऊ

5- मो० दीनू पुत्र जान मोहम्मद निवासी ग्राम हुसैन मऊ थाना देवा, जनपद बाराबंकी।

बरामदगीः

1– 09 ड्रम एथेनाल/साल्वेंट (प्रत्येक ड्रम की क्षमता 200 लीटर),

2– 03 ड्रम पेट्रोल (प्रत्येक ड्रम की क्षमता 200 लीटर),

3– 01 ड्रम एथेनाल/साल्वेंट व पेट्रोल का मिश्रण (क्षमता 200 ली0),

4– 01 ड्रम पेट्रोल (क्षमता 100 लीटर),

5— 01 टैंकर—नम्बर न0 यूपी 31 टी—4369 (15000 लीटर पेट्रोल व 5000 लीटर डीजल के साथ

6— 01 अदद महिंद्रा पिकप डाला नं0 यूपी 32 डब्लूएन 0228

7— 01 अदद मारुती का डाला न० यूपी 32 वीएन 9618

8— 01 अदद मारुती वैन यूपी 32 केई 8348

9— 02 अदद पाइप प्लास्टिक (आयल निकालने के लिए)

10— 02 अदद मोटरयुक्त फिलर मशीन(एथेनाल/साल्वेंट को टैंकर में प्रेशर से डालने के लिए

11— 01 अदद जनरेटर (फिलर मशीन के लिए)

12— 01 अदद कीप

13— 05 अदद मोबाइल फोन

14— 01 अदद एटीएम कार्ड

15— इंडियन आयल के टैक्स इनवॉइस व बिल्टी के दस्तावेज

16— नगद 4,770 रुपये नगद

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समयः— किसानपथ सीतापुर की तरफ जाने वाले हाईवे पर लोधामऊ गाँव के किनारे बाग़ में, थाना सैरपुर जनपद लखनऊ। दिनांक 12—08—2025 समय 02.15 बजे।

एसस०टी०एफ० उत्तर प्रदेष को पेट्रोल में एथेनाल/साल्वेंट केमिकल का मिश्रण कर अवैध रूप से मिलावटी पेट्रोल एवं डीजल की सप्लाई करने वाले गिरोह के बारे में सूचना प्राप्त हो रही थी। जिसके क्रम में श्री अमित कुमार नागर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस०टी०एफ०, उ०प्र०, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि पेट्रोल/डीजल में अवैध रूप से एथेनाल, साल्वेंट केमिकल मिलाकर पेट्रोल/डीजल की सप्लाई करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य लखनऊ किसानपथ सीतापुर की तरफ जाने वाले हाईवे पर लोधामऊ गाँव के किनारे बाग़ में पेट्रोल/डीजल के टैंकरों से पेट्रोल चोरी करके उसमें साल्वेन्ट केमिकल मिलाकर मिलावटी पेट्रोल/डीजल की सप्लाई करते है। इस सूचना पर

निरीक्षक श्री दिलीप तिवारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर आबकारी विभाग की टीम को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंच संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान पर पहॅचकर आबकारी निरीक्षक के सहयोग से कंटेनर ड्रम को खोलकर चेक किया गया तो मिक्स साल्वेंट के साथ भिन्न तीक्ष्ण ज्वलनशील इंधन पाया गया। जिसके उपरान्त मौके पर आबकारी निरीक्षक द्वारा नमूना लेकर क्षेत्रीय आबकारी प्रयोगशाला भेजा गया, प्रयोगशाला रिपोर्ट में एथेनाल साल्वेंट की पुष्टि होने पर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उपरोक्त बरामदगी की गयी एवं फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि उनका संगठित गिरोह है जो पेट्रोल/डीजल में केमिकल (साल्वेन्ट) मिलाकर मिलावटी पेट्रोल/डीजल हरदी व धीरेन्द्र अवस्थी के माध्यम से लखनऊ व आस–पास के जनपदों में 75–80 रूपये की दर से उसकी सप्लाई करता है। अभियुक्त रिंकू ने बताया कि वह अपने साथियो के साथ काफी समय से मिलावटी पेट्रोल/डीजल की सप्लाई करता है। वह जुलाई–2024 में इसी काम के आरोप में थाना सैरपुर, लखनऊ से जेल गया था। दीनू उपरोक्त के माध्यम से 30 रूपये प्रति लीटर की दर से केमिकल (साल्वेन्ट) मंगाते है। जिसे कम्पनियों के टैंकरों से पेट्रोल/डीजल निकालने के बाद उसी टैंकरों में उतने ही मात्रा में केमिकल (साल्वेन्ट) मिला देते है, जिससे कि टैंकरों में लोड पेट्रोल/डीजल की मात्रा में अन्तर नहीं आता है। मिलावटी पेट्रोल/डीजल से चलने वाले वाहन समय से पूर्व ही खराब हो जाते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सैरपुर, लखनऊ में मु०अ०सं० 101/2025 धारा 305, (ग)/317(2)/318(4)/316(5)/61 (2) बीएनएस व 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की मार्कशीट में अवैध रूप से कूटरचित तरीके से अंक बढाकर उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलाने एंव उ0प्र0 ओपन स्कूल बोर्ड से फर्जी तरीके से बैक डेट की मार्कशीट बनवाने वाले गैंग के सरगना सहित 03 अपराधी गिरफ्तार।

दिनांक 11–08–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को छात्रों से मोटी रकम लेकर हाईस्कूल, इण्टरमीडिऐट की मार्कशीट में अवैध रूप से कूटरचित तरीके से मार्कशीट में अंक बढाकर उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलाने तथा उ0प्र0 ओपन स्कूल बोर्ड से फर्जी तरीके से बैक डेट की मार्कशीट बनवाने वाले गैंग के सरगना सहित 03 अपराधियों गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. जितेन्द्र पुत्र साधू सिंह नि0 सी–28 पाण्डव नगर, थाना सिविल लाइन, मेरठ।
2. शिवकुमार पुत्र राकेश कुमार नि0 397/9 अपोजिट के0एल0इण्टर नेशनल स्कूल जागृति बिहार, थाना मेडिकल, जनपद मेरठ।
3. निखिल तोमर पुत्र बादाम सिंह नि0 57 आशानगर जेल चुंगी, थाना मेडिकल, जनपद मेरठ।

बरामदगीः–

1. 01 अद्द कम्प्यूटर सीपीयू
2. 01 अद्द प्रिंटर
3. 01 अद्द एक्सटर्नल हार्डडिस्क
4. 10 अद्द विभिन्न स्कूलों की मोहरें
5. 02 स्टाप पैड,
6. 25 अद्द हाईस्कूल माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0
7. 49 अद्द इण्टरमीडिएट की मार्कशीट, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0
8. 02 अद्द मार्कशीट उ0प्र0 राज्य मुक्त विद्यालय परिषद

9. 2 अदद टी0सी0

10. 01 अदद सनद

11. 01 अद्द गाडी नं0 यूपी–14 एफएफ–8044 ओरा

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

दिनांक–11–08–2025 स्थानः म0न0 एफ–230, गंगानगर, थाना गंगानगर, जनपद मेरठ। समय 23.30 बजे।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को सूचना प्राप्त हुई कि छात्रों से मोटी रकम लेकर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की मार्कशीट में अवैध रूप से छेडछाड कर फर्जी तरीके से मार्कशीट में अंक बढाकर उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलाने एवं उ0प्र0 ओपन स्कूल बोर्ड से फर्जी तरीके से बैक डेट की मार्कशीट बनवाने वाला एक गिरोह सक्रिय है। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एस0टी0एफ0 मेरठ की टीम उ0नि0 संजय कुमार के नेतृत्व उ0नि0 अरूण कुमार निगम, हे0कान्सगण विनय कुमार, भूपेन्द्र सिंह, आकाशदीप एंव रोमिश तोमर आपराधिक अभिसूचना संकलन के सम्बन्ध में जनपद मेरठ क्षेत्रान्तर्गत मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि म0न0 एफ–230, गंगानगर मेरठ में कुछ व्यक्ति छात्रों की मार्कशीट में हेराफेरी कर उनके अंक बढाकर उन्हें उच्च संस्थानों में एडमिशन दिलाते हैं तथा उसी गैंग के कुछ सदस्य उ0प्र0 ओपन स्कूल बोर्ड की बिना परीक्षा दिये ही बैक डैट की हाईस्कूल एवं इण्टर की मार्कशीट बनाकर छात्रों से मोटी रकम वसूल कर उपलब्ध कराते हैं तथा इन व्यक्तियों के पास काफी संख्या में हाईस्कूल व इण्टर की मार्कशीट तथा विभिन्न स्कूलों की मोहरें आदि हैं, जिनका प्रयोग फर्जी मार्कशीट, टी0सी0 आदि के बनाने में करते हैं। मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा मुखबिर को साथ लेकर उपरोक्त

स्थान पर पहुँच कर मुखबिर की निषादेही पर एक मकान से 03 अभियुक्तों को हिरासत मे लेकर उपरोक्तानुसार बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त गण से की गयी पूछताछ पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये हैः–

- जिन छात्र/छात्राओं की उच्च संस्थान में प्रवेश लेना होता है किन्तु उनके अंक उन संस्थानों में प्रवेश पाने हेतु पर्याप्त नहीं होते है तो उन छात्र/छात्राओं की मार्कशीट में प्रदर्शित प्राप्तांक में कप्यूटर सिस्टम के माध्यम से असली प्राप्तांकों को एडिट कर उनके स्थान पर फर्जी तरीके से प्राप्तांक बढाकर नई मार्कशीट तैयार कर छात्रों को उपलब्ध करा देते है, जिससे उन्हें आसानी से उनके मनचाहे संस्थान में प्रवेश मिल जाता है, जिस हेतु प्रति छात्र से 10 हजार रूपये वसूल करते हैं।
- इसी तरह यदि किसी छात्र को टी0सी0 की आवश्यकता होती है तो यह लोग उसके फर्जी टीसी बनाकर दे देते हैं, जिसका यह प्रति छात्र रू0 3000/–लेते हैं। इन लोगों ने विभिन्न स्कूलों की रबड मोहरे बनवा रखी हैं।
- उ0प्र0 राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की बिना परीक्षा दिलाये ही छात्र/छात्राओं की बैक डैट की हाईस्कूल एवं इण्टर की मार्कशीट बनाकर छात्रों को उपलब्ध कराते है।
- इनका एक साथी जो लखनऊ का रहने वाला है, के माध्यम से यह लोग मार्कशीट बनवाते है। यह लोग छात्र का आधार कार्ड व फोटो लखनऊ मे अपने साथी को उपलब्ध कराते है और वह 10–15 दिन में मार्कशीट बनाकर, पोर्टल पर चढाकर इनको कोरियर के माध्यम से भेज देता हैं, जिसके लिए यह छात्र/छात्राओं से 10 से 15 हजार रूपये लेते है और लखनऊ के अपने साथी को 05 हजार रूपये प्रति मार्कशीट भेज देते हैं। यह लोग पिछले 10 वर्षो से यह कार्य कर रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना गंगानगर, जिला मेरठ पर मु0अ0सं0 172/2025 धारा धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 3(5), 61(2)क बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

जनपद बुलन्दशहर/थाना स्याना

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 11.08.2025 को थाना स्याना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर की पटरी नरसैना रोड पर आम के बाग के पास से 02 अभियुक्तों 1–सुखराम उर्फ सुखराज 2–राहुल उर्फ भोला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सुखराम उर्फ सुखराज के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, हापुड़ के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 16 अभियोग, अभियुक्त राहुल उर्फ भोला के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना स्याना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुखराम उर्फ सुखराज निवासी मवई थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।

2–राहुल उर्फ भोला निवासी कपसाई थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी की 11 मोटर साइकिल।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद हापुड़/थाना हापुड़नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये (कीमत)के 01 किलो 400 ग्राम अवैध चरस**
- **05 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 12.08.2025 को थाना हापुड़नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चितौली रोड़ भट्टे के पास से 02 अभियुक्तों 1–सत्येन्द्र उर्फ सिकन्दर 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये (कीमत)के 01 किलो 400 ग्राम अवैध चरस, 05 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सत्येन्द्र उर्फ सिकन्दर शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हापुड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड़नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सत्येन्द्र उर्फ सिकन्दर निवासी आर्य नगर थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

2–अभियुक्ता

बरामदगी

1–लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये (कीमत)के 01 किलो 400 ग्राम अवैध चरस।

2–05 हजार रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना जैतीपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **90 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 12.08.2025 को थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बनखण्डी पुलिया से अभियुक्त इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 90 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इस्लाम निवासी मोहल्ला बाबर नगर कस्बा व थाना मीरगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1–90 ग्राम अवैध स्मैक।

2–01 मोबाइल फोन।

➢ **जनपद कौशाम्बी/थाना चरवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना चरवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त ओमप्रकाश को आजीवन कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

➢ **कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सूरजपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 24 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना सूरजपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376एबी भादवि व 5(एम)/6/9(एफ)10 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त चण्डीदास को आजीवन कारावास व 24 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

दिनांक 12.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 17/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

बाढ़ में फंसे हुए 21 बाढ़ पीड़ितो (महिला, पुरुष व बच्चो) को जनपद मऊ पुलिस व फ्लड कम्पनी तथा एसडीआरएफ टीम द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित घाघरा नदी से बाहर निकाला गया

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन एवं **श्री राजीव कृष्णा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0** के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ द्वारा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र मे आम जनजीवन के सुरक्षार्थ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो में चलाए जा रहे सुरक्षा अभियान के तहत बीती रात (दिनांकः11/12.08.2025) को डायल 112 पर मो0नं0 9598839732 व 6392084170 से सूचना प्राप्त हुयी कि एक बड़ी नाव में ग्राम रसूलपुर मोर्चा थाना क्षेत्र दोहरीघाट के कुल 21 लोग गोरखपुर क्षेत्र में उनके द्वारा बनाये गये पाही/डेरा पर नदी का पानी बढ़ जाने के कारण वे सभी पाही/डेरा से जान बचाने के लिए रसूलपुर मोर्चा थाना क्षेत्र दोहरीघाट के लिए प्रस्थान किये थे, कि बीच नदी में तेज बहाव होने के कारण उनकी नाव का इंजन खराब हो गया जिसके कारण नाव घाघरा नदी की तेज धार में बहने लगी जो अपने रास्ते से भटक कर देवरिया जनपद की तरफ करीब 04 कि0मी0 दूर चली गयी। नदी में एक स्थान पर पाट व ऊचा टीला में उनकी नाव फंसने के कारण वह वही रुक गयी है, जहाँ से उनके सभी सम्पर्क टूट गये। डायल 112 पर प्राप्त सूचना के आधार पर **पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ द्वारा एक रेस्क्यू आपरेशन** प्रारम्भ किया गया, जिसमें क्षेत्राधिकारी घोसी , क्षेत्राधिकारी मधुबन , प्रभारी निरीक्षक दोहरीघाट, प्रभारी निरीक्षक मधुबन को अन्य पुलिस बल की टीम बनाकर तत्काल मौके पर पहुंचने हेतु निर्देश दिये गये। क्षेत्राधिकारी घोसी के नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक दोहरीघाट मय फोर्स द्वारा गौरीशंकर घाट दोहरीघाट में प्रतिस्थापित 34 वी वाहनी पीएसी की फ्लड कम्पनी व कुछ स्थानीय गोताखोरो के साथ मौके पर पहुंचे, साथ ही साथ क्षेत्राधिकारी मधुबन व प्रभारी निरीक्षक मधुबन की टीम अन्य स्थानीय लोगो

के साथ मौके पर पहुंचे दोनो टीमो के द्वारा घाघरा नदी के तेज बहाव मे फंसे ग्रामीणो की जिन्दगियों को बचाने के प्रयास व रेस्क्यू आपरेशन प्रारम्भ किया गया इसी बीच पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा जनपद गोरखपुर पुलिस से सम्पर्क स्थापित किया गया, जनपद गोरखपुर मे प्रतिस्थापित एसडीआरएफ की टीम को भी गोरखपुर से प्रस्थान कराया गया, सभी टीमें एक साथ मिलकर रेस्क्यू आपरेशन पूर्ण करते हुए घाघरा नदी के बीच धार मे फंसे हुये कुल सभी 21 बाढ़ पीड़ितो (महिला, पुरुष व बच्चो) को नदी से उन्हे सुरक्षित बाहर निकालकर सभी को उनके परिजनो को सुपुर्द कराया गया । इस कार्यवाही से घाघरा नदी थाना क्षेत्र दोहरीघाट/मधुबन के किनारे रह रहे लोगो में सुरक्षा की भावना जागृति हुई और मौके पर गांव वालो द्वारा जनपद मऊ पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की गयी।

रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाले गये (महिला, पुरुष व बच्चो) के नाम पता।

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी हरदेव उम्र करीब 58 वर्ष
2. प्रदीप पुत्र रामानन्द उम्र करीब 22 वर्ष
3. सत्यम पुत्र लल्लन उम्र करीब 19 वर्ष
4. लालबहादुर पुत्र राजदेव उम्र करीब 70 वर्ष
5. अमित यादव पुत्र परमानन्द उम्र करीब 20 वर्ष
6. सूर्यभान पुत्र सुरेश यादव उम्र करीब 25 वर्ष
7. सुधाकर पुत्र रामव्रत यादव उम्र करीब 50 वर्ष
8. राधे पुत्र बलिराम उम्र करीब 15 वर्ष
9. खीरा पुत्र सोधन उम्र करीब 16 वर्ष
10. रामू यादव पुत्र अवधेश यादव उम्र करीब 19 वर्ष
11. मनीष पुत्र सोधन यादव उम्र करीब 18 वर्ष
12. रमेश पुत्र चन्द्रभान उम्र करीब 45 वर्ष
13. राधेश्याम पुत्र रमेश उम्र करीब 10 वर्ष
14. अर्पित पुत्र रमेश उम्र करीब 12 वर्ष
15. आर्यन पुत्र रमेश उम्र करीब 15 वर्ष

16. विनोद पुत्र हरदेव उम्र करीब 19 वर्ष
17. किशन पुत्र गिरजेश उम्र करीब 15 वर्ष
18. सुनील पुत्र बलिराम उम्र करीब 16 वर्ष
19. शुभम पुत्र संजय उम्र करीब 18 वर्ष
20. मुकुली पुत्र संजय उम्र करीब 15 वर्ष
21. शैलेष यादव पुत्र अवेश उम्र करीब 15 वर्ष

———————